भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 279
जिसका उत्तर मंगलवार, 26 अप्रैल, 2016 को दिया जाना है

रुग्ण/घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

279. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पांच रुग्ण पीएसयू इकाइयों को बंद करने की सिफारिश की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) बंद की गई/बंद होने के प्रक्रियाधीन पीएसयू की संख्या क्या है;
(घ) क्या इन पीएसयू की परिसंपत्तियों का आकलन किया गया है तथा उन्हें बेच दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार को भूमि बिक्री उपबंध के कारण इन पीएसयू की जमीन को बेचने में मुश्किल आ रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पीएसयू तथा इनके कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, हां।

(ख): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक **22.12.2015** को हुई अपनी बैठक में **तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड** को बंद करने का अनुमोदन दे दिया है और तत्पश्चात्, दिनांक **06.01.2016** को हुई एक अन्य बैठक में एचएमटी की तीन कंपनियों नामतः **एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड, एचएमटी (चिनार वाचिज) लिमिटेड और एचएमटी (वाचिज) लिमिटेड** को बंद करने का अनुमोदन दे दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रम नामतः **हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड (एचसीएल)** को बंद किए जाने संबंधी मंत्रिमंडल नोट दिनांक **01.03.2016** को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ भेज दिया गया है।

(ग): सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित पांच उद्यम बंद किए जा रहे हैं:

(i). तुंगभद्रा स्टील प्रॉडक्ट्स लिमिटेड;
(ii). एचएमटी (बेयरिंग्स) लिमिटेड;
(iii). एचएमटी (चिनार वाचिज) लिमिटेड;
(iv). एचएमटी (वाचिज) लिमिटेड; और
(v). हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड।

(घ): जी, नहीं।

(ङ): उपर्युक्त (घ) को देखते हुए, लागू नहीं होता।

(च): टीएसपीएल के सभी 72 कर्मचारियों ने वीआरएस का लाभ उठाया है और 09.03.2016 को मुक्त कर दिए गए हैं।

एचएमटी (सीडब्ल्यू) के सभी 30 कर्मचारियों ने वीआरएस का लाभ उठाया है और उनकी सभी देयताओं का निपटान कर दिया गया है।

एचएमटी (बी) के सभी 49 कर्मचारियों ने वीआरएस का लाभ उठाया है और उनकी सभी देयताओं का निपटान कर दिया गया है।

एचएमटी (डब्ल्यू) के 961 कर्मचारियों में से 776 कर्मचारियों ने वीआरएस/वीएसएस का विकल्प चुना है और इन 776 कर्मचारियों में से, 487 कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देयताओं का निपटान कर दिया गया है। उत्तराखंड की मुख्यतः रानीबाग इकाई से 185 कर्मचारियों ने पेश किए गए किसी भी विकल्प को नहीं चुना है।

****